

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)  
बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- राकेश पुत्र राजू कहार अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति मीरा पत्नी राजू कहार निवासी शाहपुरा
- 2- नरेश पुत्र राजू कहार अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति मीरा पत्नी राजू कहार निवासी शाहपुरा

- वादीगण

बनाम

- 1- देबी लाल पिता केलाश कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 2-3 दुर्गालाल, लादू लाल पिता केला कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- राजू पिता लादुलाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- तहसीलदार बहेसियत भूधारक शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 6 - उपपंजीयक शाहपुरा जिला शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत किये जाने बंटवाड़ा कृषि आराजियात घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार एवं इन्द्राज दुरुस्ती स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 29 सन् 2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादीगण के नोट प्रेस किये जाने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।



*hiny*  
उ (मुकेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, शाहपुरा